न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, जमुई

सत्र वाद सं0–307/2022

10.02.2023 काराधीन अभियुक्त जय पासवान उर्फ अशोक पासवान को कारा से प्रस्तुत किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक की हाजरी है।

वाद पुकारा गया। पुकार पर विद्वान लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा दिनांक–15.07.2022 को ही द0प्र0सं0 की धारा–227 का आवेदन दिया गया था और अपने आवेदन में उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। उनके द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी दाखिल किये गये है, जो ये दिखाते है कि घटना के समय में अभियुक्त काराधीन था। ऐसे में अभियुक्त का द0प्र0सं0 की धारा–227 का आवेदन मंजूर करने की प्रार्थना करते है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक का कहना है कि द0प्रस0सं0 की धारा–227 के लिए केवल अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को देखना होगा और यदि अभियोजन यह दिखाने में सफल रहता है कि अभियुक्त के विरूद्ध ऐसे आरोप हैं और आरोप के समर्थन में कुछ भी साक्ष्य है जो दिखाता हो कि अभियुक्त घटना में शामिल हो सकता है तो अभियुक्त का विचारण किया जायेगा। यह भी कहना था कि कांड दैनिकी में वादी का पुनः बयान दर्ज किया गया है और साक्षियों का भी साक्ष्य लिया गया है, जो कांड में अभियुक्त की संलिप्तता को दिखाता है। अतः बचाव पक्ष की ओर से दाखिल द0प्र0सं0 की धारा–227 के आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी भा0द0वि0, यू0ए0पी0, शस्त्र अधिनियम एवं सी0एल0ए0 एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज की गई है और अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र यू0ए0पी0, शस्त्र अधिनियम एवं भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत समर्पित है। आरोप पत्र के साथ समर्पित कांड दैनिकी के कंडिका–4 में वादी ने अपने पुनः बयान में एवं कंडिका–191, 193 में साक्षियों ने अभियोजन वाद का समर्थन किया है। कांड दैनिकी कंडिका–3 में तलाशी सह जप्ती सूची का जिक्र है और घटनास्थल से विस्फोट सामान एवं माओवादी पर्चा बरामद होने की बात कही जाती है। अभियोजन का दावा है कि आवेदक/अभियुक्त एक नक्सली है और कांड में उसकी पुरी संलिप्तता है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अपर जिला सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, बॉका के न्यायालय में लंबित सत्र वाद संख्या–454/22 के आदेश फलक की प्रति दाखिल करते हुये यह दावा किया गया है कि अभियुक्त काराधीन था। परन्तु Plea of alibi का बचाव विचारण के दौरान लिया जा सकता है, न कि आरोप गठन के स्टेज पर।

उपरोक्त परिस्थिति में बचाव पक्ष की ओर से दाखिल द0प्र0सं0 की धारा–227 के आवेदन को खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक–..... आरोप गठन हेतु।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय,
जमुई